माननीय न्यायमूर्ति एम.एम. कुमार और जोरा सिंह, के समक्ष

डॉ। स्रिंदर सिंह दहिया और अन्य,-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-प्रतिवादी

सी.डब्ल्यू.पी. 2007 की संख्या 7438

27 मई, 2008

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 14, 16(1) और 226-हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी सेवा नियम, 1979-नियम 6 और 7-प्रतिनिय्क्ति के माध्यम से निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए परिपत्र/विज्ञापन जारी करने वाली एजेंसी-नियम 7 इस बात पर रोक लगाता है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक सेवा में नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके पास परिशिष्ट 'बी' के कॉलम 3 में निर्दिष्ट योग्यता और अनुभव न हो - प्रतिवादी संख्या 3 न तो नियमों के अनुसार आवश्यक योग्यता का उत्तर देता है और न ही आयु की आवश्यकता को पूरा करता है -सर्कुलर/विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि पर या उससे पहले आवेदन भेजने में भी विफल रहता है - प्रतिवादी संख्या 2 का गवर्निंग बोर्ड - एजेंसी संशोधन कर योग्यता बदल रही है और आयु सीमा भी बढ़ा रही है - ऐसा संशोधन नियम 7, परिशिष्ट बी का उल्लंघन करता है - नए आवेदन आमंत्रित करना आवश्यक है यदि संकल्प के आधार पर नियुक्ति होनी थी तो - उसके बाद कोई परिपत्र/विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा - उन लोगों को आवेदन करने का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा जिनके पास संकल्प में निर्धारित योग्यताएं हैं -अन्च्छेद 14 और 16 (1) का उल्लंघन - याचिका की अनुमति दी गई है।

अभिनिर्धारित किया गया कि प्रतिवादी संख्या 3 ने उम की शर्त पूरी नहीं की। परिपत्र/विज्ञापन और 1979 के नियमों के परिशिष्ट 'बी' के साथ पढ़े गए नियम 7 के अनुसार, आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि यानी 20 जून, 2005को उम्मीदवार की आयु 40-50 वर्ष के बीच होनी आवश्यक थी। यह निर्विवाद है कि प्रतिवादी संख्या 3 ने इस आवश्यकता का उत्तर नहीं दिया क्योंकि स्वीकृत तथ्यों के अनुसार उनका जन्म 15 दिसंबर, 1954 को ह्आ था, इसलिए, आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि पर उनकी उम्र 50 वर्ष से छह महीने अधिक थी। यहां तक कि प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा भेजा गया आवेदन भी निदेशक, कृषि, हरियाणा को आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि यानी 20 जून, 2005 या उससे पहले प्राप्त नहीं हुआ था, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि आवेदकों की सूची तैयार की गई थी। निदेशक, कृषि हरियाणा, जिन्होंने 20 जून, 2005 को या उससे पहले अपने आवेदन भेजे थे और प्रतिवादी संख्या 3 का नाम उस सूची में उल्लेखित नहीं है। परिपत्र/विज्ञापन में तय की गई कट ऑफ तारीख 20 जून, 2005 है। कट ऑफ तारीख के अनुसार उम्मीदवार को आयु की आवश्यकता को पूरा करना आवश्यक था और पद के लिए उसके आवेदन पर विचार किया जा संकता था। यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 3 ने आयु की आवश्यकता को प्रा नहीं किया और न ही उसने परिपत्र/विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि को या उससे पहले आवेदन भेजा।

(पैरा 19 से 21)

इसके अलावा ये अभिनिर्धारित किया गया कि प्रतिवादी नंबर 3 ने स्वीकार किया कि उसके पास प्लान पैथोलॉजी में एम.एससी (कृषि) की योग्यता है, जो न तो विज्ञापित योग्यता का उत्तर देता है और न ही नियमों द्वारा प्रदान की गई योग्यता का। आवश्यक योग्यता के अनुसार उम्मीदवार को (कृषि) पादप प्रजनन में एम.एससी. होना चाहिए। प्रतिवादी नंबर 3 का यह दावा कि उसने प्लांट ब्रीडिंग या हॉर्टिकल्चर में पीएचडी की है, स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि याचिकाकर्ताओं को सीसीएस, एचएयू, हिसार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी प्रदान की गई है, जिसमें प्रतिवादी नंबर 3 प्लांट पैथोलॉजी में प्रोफेसर के रूप में पदोन्नत किया गया था और प्रोफेसर/प्रख्यात वैज्ञानिक के लिए पीएचडी योग्यता आवश्यक है। उन्होंने आगे बताया है कि प्रतिवादी नंबर 3 के पास पीएच.डी. डिग्री है। लेकिन उन्होंने

विश्वविद्यालय को अपने अनुशासन का खुलासा नहीं किया। हालाँकि, उन्होंने मशरूम उत्पादन और प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता का उल्लेख किया था। यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया गया कि प्रतिवादी संख्या 3 के पास बागवानी में पीएच.डी. नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने एक विशेष प्रश्न पूछा है कि क्या प्लांट पैथोलॉजी मे एम.एससी. और बागवानी में पीएच.डी. डिग्री धारक व्यक्ति को पादप रोगविज्ञान में प्रोफेसर के रूप में पदोन्नत किया जा सकता है। इसलिए, प्रतिवादी संख्या 3 उन योग्यताओं का उत्तर नहीं देता है, जो 13 जून, 2005 के परिपत्र/विज्ञापन द्वारा आवश्यक थीं।

(पैरा 22)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया, कि प्रतिवादी संख्या 2-एजेंसी के गवर्निंग बोर्ड द्वारा दिनांक 29 अक्टूबर, 2007 को पारित प्रस्ताव, 1979 नियमों के परिशिष्ट 'बी' के साथ पढ़े गए नियम 7 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करता है और तदनुसार गवर्निंग बोर्ड द्वारा पारित ऐसे प्रस्ताव का उल्लंघन करता है। योग्यता में किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसी तरह, 40-50 वर्ष की आयु सीमा को बढ़ाकर 50-55 वर्ष नहीं किया जा सकता है और न ही प्रतिवादी नंबर 2 एजेंसी का गवर्निंग बोर्ड निदेशक की नियुक्ति का अधिकार सरकार को सौंप सकता है। किसी भी मामले में संशोधन उन आवेदनों को नियंत्रित नहीं करेगा जो 13 जून, 2005 के परिपत्र/विज्ञापन के अन्सरण में आमंत्रित किए गए थे क्योंकि संकल्प, दिनांक 29 अक्टूबर, 2007 को प्रतिवादी संख्या 2 के गवर्निंग बोर्ड द्वारा- दो साल से अधिक समय के बाद एजेंसी को पारित किया गया है। यदि नियुक्ति दिनांक 29 अक्टूबर 2007 के संकल्प के आधार पर की जानी थी तो नए आवेदन आमंत्रित करने की आवश्यकता थी जो कि स्वीकार नहीं किया गया है। प्रतिवादी संख्या 3 ने अपना आवेदन अगस्त, 2008 में भेजा। उसके बाद कोई परिपत्र/विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। यदि हम प्रतिवादी संख्या 3 की नियुक्ति पर उस प्रकाश में विचार करते हैं तो यह संविधान के अन्चछेद 14 और 16 (1) का उल्लंघन है क्योंकि उन लोगों को आवेदन करने का कोई अवसर नहीं दिया गया जिनके पास संकल्प या तथाकथित योग्यताएं थीं। संशोधन, दिनांक 29 अक्टूबर 2007, प्रतिवादी संख्या 2 एजेंसी दवारा अपनाया गया।

(पैरा 23 एवं 24)

याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील डॉ. सूर्य प्रकाश।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से डी.एस. नलवा, अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा।

प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से सुश्री प्रीति खन्ना, अधिवक्ता

आर.के. प्रतिवादी संख्या 3 के लिए मलिक, वरिष्ठ अधिवक्ता, यशदीप, अधिवक्ता के साथ।

प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता सतीश चौधरी।

एम.एम. कुमार, जे.

- (1) संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर इस याचिका में डॉ. वी.एस. की नियुक्ति के 15 नवंबर, 2007 (पी-एल) के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गई है। पाहिल-प्रतिवादी संख्या 3 निदेशक, हरियाणा के रूप में, 'राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी-प्रतिवादी संख्या 2। याचिकाकर्ताओं द्वारा चुनौती का मुख्य आधार यह है कि डॉ. वी.एस. पाहिल-प्रतिवादी नंबर 3 हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी सेवा नियम, 1979 (संक्षिप्तता के लिए '1979 नियम') के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्य है, क्योंकि उसके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है और उम भी अधिक हो गई है।
- (2) तत्काल याचिका में उठाए गए विवाद के निपटारे के लिए आवश्यक मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि डॉ. सुरिंदर सिंह दहिया-याचिकाकर्ता नंबर 1 करनाल में कृषि उप निदेशक, हरियाणा के

1381.L.R. पंजाब और हरियाणा2008 (2)

पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने कृषिविज्ञान में एम.एससी. और कृषि विज्ञान में कृषि में पीएच.डी. हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार से किया है। श्री बी.एस. दुग्गल-याचिकाकर्ता नंबर 2 के पास कृषि विज्ञान में कृषि, एम. एससी की योग्यता है। ऐसा कहा जाता है कि उनके पास 20 जून, 2005 तक अनुसंधान, फार्म प्रबंधन, फसल उत्पादन, बीज उत्पादन, विकास और विस्तार गतिविधियों में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है और कृषि उप निदेशक, संयुक्त कृषि निदेशक और अतिरिक्त कृषि निदेशक और यहां तक कि प्रतिवादी नंबर 2 एजेंसी के निदेशक के रूप में वरिष्ठ पद पर लगभग 1 2 वर्ष और 7 महीने का अनुभव है।

(3) 17 दिसंबर, 2002 को आयोजित बैठक में प्रतिवादी संख्या 2 के शासी निकाय द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में याचिकाकर्ता संख्या 2 को प्रतिवादी संख्या 2 एजेंसी के निदेशक के रूप में प्रतिनियुक्ति के आधार पर चुना गया और नियुक्त किया गया।हालाँकि, उक्त चयन और नियुक्ति को बाली सिंह वर्मा नामक व्यक्ति ने सी.डब्ल्यू.पी. 2002 का क्रमांक 19988 (बाली सिंह वर्मा बनाम हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी) दायर करके इस न्यायालय में चुनौती दी थी। ।उक्त रिट याचिका को इस न्यायालय द्वारा 30 अगस्त, 2004 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था। इस प्रकार, याचिकाकर्ता नंबर 2 ने 1 8 दिसंबर, 2002 से 8 जून, 2005 तक प्रतिवादी नंबर 2 एजेंसी के निदेशक के रूप में काम किया। दावा किया गया कि वर्ष 2005 में सरकार बदलने के बाद, प्रतिवादी नंबर 1 ने 9 मार्च, 2005 को निर्देश जारी कर निर्देश दिया कि वे सभी अधिकारी/कर्मचारी जो राज्य के बाहर या राज्य के भीतर एक विभाग से दूसरे विभाग में प्रतिनियुक्ति पर थे। उनको मूल संगठन (पी-5) में वापस भेज दिया गया।इसके बाद दिनांक 16 मार्च 2005 को इस आशय के निर्देश जारी किए गए कि जिन प्रतिनिय्क्तिकर्ताओं ने उधार लेने वाले विभाग/संगठन में अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है, उन्हें प्रत्येक व्यक्तिगत मामले (पी-6) की योग्यता के आधार पर ऐसे संगठन द्वारा बनाए रखने पर विचार किया जा सकता है। हालाँकि, याचिकाकर्ता नंबर 2 को वापस भेज दिया गया और वह 9 जून, 2005 को अपने मूल विभाग में शामिल हो गया।

- (4) 13 जून, 2005 को, प्रतिवादी नंबर 2 ने फिर से रुपये1200-375-16500 के ग्रेड में निदेशक, हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी, पंचकुला के पद को भरने के लिए विभिन्न संस्थानों/विश्वविद्यालयों से आवेदन आमंत्रित किए। प्रतिनियुक्ति के आधार पर (कृषि) पादप प्रजनन आदि में एम.एससी की शैक्षणिक योग्यता, अनुसंधान फार्म प्रबंधन में 15 वर्ष का अनुभव और आयु 40-50 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है।
- (5) आगे यह निर्धारित किया गया कि 20 जून, 2005 के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा (पी-3)। याचिकाकर्ताओं और अन्य व्यक्तियों ने उपर्युक्त मांग के जवाब में आवेदन किया था, जैसा कि कृषि निदेशक, हरियाणा द्वारा 4 जुलाई, 2005 को वित्तीय आयुक्त और प्रमुख सचिव, हरियाणा सरकार, कृषि विभाग-प्रतिवादी नंबर 1 को लिखे गए पत्र से स्पष्ट है। (पी-4) आवेदकों का विवरण जैसे उनके नाम, योग्यता, आयु/जन्मतिथि, अनुभव और टिप्पणियाँ सारणीबद्ध की गईं और दिनांक 4 जुलाई, 2005 के पत्र के साथ संलग्न की गईं। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि याचिकाकर्ताओं के नाम आवेदकों की सूची क्रम संख्या 1 और 12 क्रमश: में हैं। जबकि डॉ. वी.एस. पहिल प्रतिवादी संख्या 3. के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। दावा है कि डॉ. वी.एस. पाहिल-प्रतिवादी नंबर 3 ने अपने मूल विभाग यानी चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार-प्रतिवादी नंबर 4 (संक्षेप में 'सीसीएस, एचएयू, हिसार') को सूचित किए बिना भी अगस्त, 2006 में आवेदन किया है। यह भी आरोप लगाया गया है कि उनके पास प्लांट पैथोलॉजी एम.एससी. की डिग्री है। और तत्कालीन वितीय आयुक्त कृषि-सह-अध्यक्ष, हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन (HAIC) और प्रबंध निदेशक HAIC (P-7, P.8 और P-9) द्वारा उनके खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणियाँ दर्ज की गईं। 18 सितंबर, 2006 को, कृषि निदेशक, हरियाणा ने वितीय आयुक्त और प्रधान सचिव-प्रतिवादी संख्या 1 को इस आशय का एक पत्र भेजा कि डॉ. वी.एस. पाहिल-प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत बायोडाटा के अनुसार उनकी जन्मतिथि 15 दिसंबर, 1954 है और वे निदेशक पद के लिए पात्र नहीं हैं क्योंकि उनकी आयु निर्धारित आयु 50 वर्ष (पी-1 0) से अधिक है। उपरोक्त तथ्यों के बावजूद, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव ने 27 सितंबर, 2007 को निम्नलिखित आदेश भेजा (पी-11):

"सीएम ने आदेश दिया है कि डॉ. वी.एस. पाहिल, पीएच.डी. (यूके) प्रोफेसर/प्रधान वैज्ञानिक (पी.पी.), चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार को प्रतिनियुक्ति के आधार पर हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए।

आवश्यक आदेश तुरंत जारी किए जाएं।"

(6) दिनांक 27 सितंबर, 2007 के आदेश के अनुसरण में, एजेंसी के शासी निकाय प्रतिवादी संख्या 2 की बैठक 16 अक्टूबर, 2007 को बुलाई गई थी, लेकिन कोरम के अभाव में इसे दो बार स्थगित कर दिया गया था, सबसे पहले 18 अक्टूबर, 2007 के लिए और फिर 29 अक्टूबर, 2007 तक। ऐसा दावा किया जाता है कि डॉ. वी.एस. पाहिल-प्रतिवादी नंबर 3 को समायोजित करने के लिए 'एंटोमोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी एम.एससी./पीएचडी' की योग्यता निदेशक हिरयाणा राज्य बीज-प्रमाणन एजेंसी (पी-12) के पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता में एजेंडा आइटम नंबर 8 के तहत शामिल किया गया था। 29 अक्टूबर, 2007 को आयोजित बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिया गया था। (पृ-13):

"बोर्ड ने सर्वसम्मित से निर्णय लिया कि शैक्षणिक योग्यता में कृषि एम.एससी. निदेशक के पद के लिए पर्याप्त है। पद के लिए किसी विशेष विषय का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है और निदेशक के पद के लिए बीज उत्पादन/बीज प्रौद्योगिकी में न्यूनतम 10 वर्ष का सिक्रय अनुभव होना चाहिए। बोर्ड ने एजेंसी के निदेशक के पद के लिए ऊपरी आयु सीमा को वर्तमान 50 से बढ़ाकर 55 वर्ष करने का भी निर्णय लिया और एक पदधारी को एक समय में एक वर्ष से अधिक का कार्यकाल नहीं दिया जाना चाहिए। बोर्ड ने निदेशक की नियुक्ति का अधिकार भी सरकार को सौंप दी और निर्णय लिया कि किन्हीं कारणों से कोई पद रिक्त होने की स्थित में कृषि निदेशक एजेंसी के पदेन निदेशक होंगे।"

(7) 15 नवम्बर 2007 को प्रतिवादी क्रमांक 1 ने डॉ. वी.एस. पाहिल-प्रतिवादी नंबर 3 का नियुक्ति आदेश जारी किया। उन्हें तत्काल प्रभाव से प्रतिनियुक्ति के सामान्य नियमों और शर्तों पर एक वर्ष की अविध के लिए हरियाणा राज्य

बीज प्रमाणीकरण एजेंसी, पंचकुला के निदेशक के रूप में नियुक्त करते हुए, कृषि निदेशक, हरियाणा को अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया (पी-एल). उपरोक्त आदेश वर्तमान याचिका में चुनौती का विषय है।

(8) यद्यपि प्रतिवादी संख्या 1, 2 और 3 द्वारा अलग-अलग लिखित बयान दायर किए गए हैं, तथापि, उसमें सामान्य रुख अपनाया गया है। यह दावा किया गया है कि याचिकाकर्ताओं के पास तत्काल याचिका दायर करने का कोई कारण नहीं है और उन्होंने निदेशक के पद पर नियुक्ति की पैरवी की है। प्रतिवादी नंबर 3 को उत्कृष्ट शैक्षणिक और सेवा रिकॉर्ड रखने के लिए पूरी तरह से योग्य होने के कारण नियुक्त किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि वह याचिकाकर्ताओं की तुलना में बेहतर योग्य और अधिक अनुभवी है। यह बताया गया है कि प्रतिवादी नंबर 2 एजेंसी सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी है और बीज अधिनियम, 1966 (संक्षिप्तता के लिए, '1966 अधिनियम) की धारा 8 के तहत प्रमाणन एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए गठित की गई है। हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी के उपनियमों को अनुबंध आर - 1/2 के रूप में रिकॉर्ड पर रखा गया है। आगे यह दावा किया गया है कि प्रतिवादी नंबर 2 एजेंसी का गवर्निंग बोर्ड अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में योग्यता, आय् सीमा आदि मामलों से संबंधित सभी निर्णय लेने में सक्षम है। इस बात से इनकार किया गया है कि 1979 के नियम किसी व्यक्ति को प्रतिनिय्क्ति पर निय्क्त करने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित करते हैं। याचिकाकर्ताओं की आपत्ति के संबंध में कि डॉ. वी.एस. पाहिल-प्रतिवादी नंबर 3 ने योग्यता पूरी नहीं की, यह दावा किया गया है कि वह हॉर्टिकल्चरल रिसर्च इंटरनेशनल, लंदन विश्वविद्यालय, यूके से हॉर्टिकल्चर (सब्जी) में पीएच.डी. है।, जो बागवानी (सब्जी) में एम.एससी. से अधिक पद हेतु निर्धारित योग्यता है। प्रतिवादी संख्या 3 से संबंधित पीएच.डी. डिग्री और अन्य दस्तावेजों को अनुलग्नक आर-1/4ए, आर-1/4बी और आर-1/4सी के रूप में रिकॉर्ड पर लाया गया है, जो प्रतिवादी संख्या द्वारा दायर लिखित बयान के साथ संलग्न हैं।

I. उत्तरदाताओं ने आगे दावा किया है कि प्रतिवादी नंबर 3 की प्रतिनियुक्ति को सीसीएस, एचएयू, हिसार (आर-1/5) द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है। इस बात से इनकार किया गया है कि नियुक्ति, मौजूदा याचिका में विवाद का

विषय, किसी भी राजनीतिक विचार पर की गई है। उत्तरदाताओं ने दावा किया है कि, वास्तव में, याचिकाकर्ताओं ने हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी नियम, 1976 (संक्षिप्तता के लिए '1979 नियम') में संशोधन करने के अपने अधिकारों के साथ प्रतिवादी संख्या 2 एजेंसी कि 1979 के नियमों में संशोधन करने के अधिकारों के बारे में भ्रमित करके इस न्यायालय को ग्मराह करने की कोशिश की है। यह कहा गया है कि 1979 के नियम वैधानिक नियम नहीं हैं, लेकिन इन्हें 1976 के नियमों के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते ह्ए प्रतिवादी नंबर 2 एजेंसी के गवर्निंग बोर्ड द्वारा तैयार किया गया है। 1976 के नियमों को गवर्निंग बोर्ड द्वारा संशोधित किया जा सकता है क्योंकि वे प्रकृति में विधायी नहीं हैं और कार्यकारी आदेशों/निर्देशों के समान हैं। याचिकाकर्ताओं ने जानबुझकर केंद्रीय बीज प्रमाणीकरण बोर्ड की 13वीं बैठक की कार्यवाही का खुलासा नहीं किया है जिसमें निर्णय लिया गया था कि केंद्रीय बीज प्रमाणीकरण बोर्ड की सिफारिशें केवल अनुशंसात्मक हैं और बाध्यकारी नहीं हैं (आर-1/6)। यह भी कहा गया है कि निदेशक का पद चयन पद नहीं है और आवेदन आमंत्रित करना अनिवार्य नहीं है और राज्य सरकार को इस पद के लिए पात्र/उपयुक्त उम्मीदवारों में से किसी एक को नियुक्त करने का अधिकार है। यह माना गया है कि यद्यपि 20 जून, 2005 तक केवल 13 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, लेकिन विचार की तारीख तक आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों के दावों पर विचार किया गया, प्रतिवादी संख्या 3 के अलावा 4 अन्य के दावों पर विचार किया गया। 20 जून 2005 के बाद आवेदन करने वाले आवेदकों पर भी विचार किया गया।

(9) प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर लिखित बयान के पैरा 11 में यह उल्लेख किया गया है कि 27 फरवरी, 2007 को गवर्निंग बोर्ड की एक बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन उचित कोरम के अभाव में कोई कार्यवाही आयोजित नहीं की जा सकी। इस बीच, अगस्त-सितंबर, 2007 के दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय से निदेशक पद के लिए याचिकाकर्ताओं सिहत कुछ व्यक्तियों पर विचार करने के संबंध में कुछ संचार प्राप्त हुए। इसके अलावा, विभिन्न संघों जैसे कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (हौटा), हिसार से भी कुछ सुझाव और अभ्यावेदन प्राप्त हुए; हरियाणा कृषि अधिकारी (राजपत्रित) एसोसिएशन, सोनीपत, निदेशक के पद के लिए योग्यता, अनुभव और अभ्यावेदन को करेगा (आर-एल/७ए से आर-1/७डी)। सिफारिशों, सुझावों और अभ्यावेदन को

ध्यान में रखते हुए, गवर्निंग बोर्ड ने 29 अक्टूबर, 2007 को आयोजित अपनी 78वीं बैठक में एक सक्षम व्यक्ति का चयन करने के उद्देश्य से निदेशक के पद के लिए योग्यता, अनुभव और आयु में संशोधन करने का निर्णय लिया। उपरोक्त निर्णय लेते हुए राज्य सरकार से निदेशक पद पर नियुक्ति करने का अनुरोध किया गया। यह निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रतिवादी नंबर 3 की नियुक्ति पूरी तरह से कानूनी, संवैधानिक और 1979 के नियमों के प्रावधानों के साथ-साथ 29 अक्टूबर, 2007 को आयोजित गवर्निंग बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार है। नियुक्ति उनके तुलनात्मक विवरण के साथ पात्र उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार करने के बाद की गई है, जिसे राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया था, जिसने योग्यता के आधार पर तुलनात्मक मूल्यांकन के बाद प्रतिवादी संख्या 3 (आर-1/8) के नाम को मंजूरी दी थी।

(10) प्रतिवादी क्रमांक 1, 2 और 3 द्वारा दायर अलग-अलग लिखित बयान में अपनाए गए सामान्य रुख का खंडन करते ह्ए याचिकाकर्ताओं द्वारा एक प्रतिकृति दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि उपर्युक्त उत्तरदाताओं द्वारा दायर किए गए लिखित बयान कमोबेश एक जैसे हैं और यह ऐसा लगता है कि प्रतिवादी संख्या 1 और 2 द्वारा दिए गए लिखित बयान प्रतिवादी संख्या 3 की इच्छा के अनुसार दायर किए गए हैं। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 3 से संबंधित ऐसे दस्तावेजों को रिकॉर्ड में रखा है, जो प्रतिवादी क्रमांक 3 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 को कभी प्रस्तुत नहीं किए गए थे । याचिकाकर्ताओं ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रतिवादी संख्या 2 से प्राप्त करने के बाद प्रतिवादी संख्या 3 के बायोडाटा की प्रतिलिपि रिकॉर्ड पर रखी है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 ने खूद को पीएचडी होने का दावा नहीं किया है। बागवानी में और न ही उन्होंने बीज उत्पादन/प्रमाणन आदि में किसी अनुभव का दावा किया है (पी15)। लिखित बयानों में दिए गए कथनों को नकारने और रिट याचिका में किए गए विभिन्न कथनों को दोहराने के अलावा, याचिकाकर्ताओं ने डॉ. .वी.एस. पहिल प्रतिवादी संख्या 3 की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु, पेशेवर मान्यता, फेलोशिप, पुरस्कार, उपलब्धियों और एक्सपोजर आदि का तुलनात्मक विवरण भी रिकॉर्ड में रखा है। और याचिकाकर्ता (पी-16), राज्य लोक सूचना अधिकारी, सीसीएस एचएयू, हिसार से प्रतिवादी संख्या 3 (पी-17 कोली) से संबंधित प्राप्त जानकारी और प्रतिवादी संख्या 3, सीसीएस एचएयू हिसार और अन्य प्राधिकारियों के बीच

विभिन्न संचार का आदान-प्रदान, निदेशक (पी-19 से पी-23) के पद पर उनकी नियुक्ति के बाद को यह दिखाने के लिए कि प्रतिवादी नंबर 3 पद संभालने के लिए पात्र नहीं है और उन्हें केवल राजनीतिक विचारों के कारण इस पद पर नियुक्त किया गया है।

- (11) सीसीएस एचएयू, हिसार प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से दायर संक्षिप्त उत्तर में यह माना गया है कि निदेशक पद के लिए प्रतिवादी संख्या 3 का आवेदन विश्वविद्यालय के माध्यम से नहीं भेजा गया था और इसके बारे में पता चलने पर, प्रतिवादी संख्या 3 को अपनी स्थित स्पष्ट करने के लिए बुलाया गया था, -पत्र, दिनांक 18 दिसंबर, 2007 (आर4-1) के माध्यम से। बाद में उनके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण (आर4-2) पर विचार करने के बाद, कुलपति, सीसीएस एचएयू, हिसार ने उन्हें एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर निदेशक के पद पर शामिल होने की अनुमति दी, पत्र, दिनांक 10 जनवरी, 2008 (आर4-3) के माध्यम से।
- (12) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील डॉ. सूर्य प्रकाश ने हमारे समक्ष निम्नलिखित दलीलें रखीं:
- (ए) प्रतिवादी संख्या 3 के पास निदेशक के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले दिनांक 13 जून, 2005 (पी-3) के परिपत्र की आवश्यकता का उत्तर देने के लिए अपेक्षित योग्यता नहीं है। परिपत्र के अनुसार उम्मीदवार के पास पादप प्रजनन/कृषि विज्ञान/बागवानी (शाकाहारी)/बीज प्रौद्योगिकी में एमएससी (कृषि) की डिग्री होनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि 1979 के नियमों (आर-1/3) के नियम 7 और परिशिष्ट 'बी' के लिए भी उम्मीदवार को निदेशक पद के लिए समान योग्यता पूरी करनी होगी। विद्वान वकील ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि डॉ. वी.एस. पाहिल-प्रतिवादी नंबर 3 के पास प्लांट पैथोलॉजी एमएससी में (कृषि) की योग्यता है न कि प्लांट ब्रीडिंग में और इसलिए, वह 13 जून, 2005 के परिपत्र या 1979 नियमों के नियम 9 और परिशिष्ट 'बी' के विवरण का उत्तर नहीं देता है। इस संबंध में सीसीएस, एचएयू, हिसार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दी गई जानकारी पर भरोसा जताया गया है, जिसमें कहा गया है कि डॉ. वी.एस. पहिल प्रतिवादी

संख्या 3 बागवानी में पीएच.डी. नहीं है। और वह प्लांट पैथोलॉजी में प्रोफेसर हैं और केवल एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं जिनके पास प्लांट पैथोलॉजी में पीएच.डी. है उसे प्रोफेसर (पी-17) के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। उन्होंने अपने बायोडाटा (पी-15) का भी उल्लेख किया है, जो उन्होंने प्रोफेसर के रूप में अपनी नियुक्ति के लिए प्रस्तुत किया था जिसमें डॉ. वी.एस. पाहिल-प्रतिवादी नंबर 3 ने पीएचडी बागवानी होने का दावा नहीं किया है और न ही उसने अपनी मास्टर डिग्री या पीएचडी डिग्री के क्षेत्र का उल्लेख किया है। विद्वान वकील ने यह तर्क देकर प्रतिवादी-राज्य के रुख पर हमला किया है कि राज्य द्वारा दायर लिखित बयान डॉ. वी.एस. पहिल प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दायर लिखित बयान की प्रतिकृति है, जो उनके रिकॉर्ड के अनुसार नहीं है क्योंकि लिखित बयान के साथ संलग्न दस्तावेज प्रतिवादी राज्य के रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं हैं।

(बी) उन्होंने आगे इस बात पर प्रकाश डाला है कि डॉ. वी.एस. पाहिल प्रतिवादी संख्या 3 की उम भी परिपत्र दिनांक 1 3 जून, 2005 (पी-3) और 1979 के नियमों के नियम 9 के अनुसार नहीं है, जिसके तहत उम्मीदवार की आय् 40-50 वर्ष के बीच होनी आवश्यक है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार डॉ. वी.एस. पाहिल-प्रतिवेदक संख्या 3, की जन्मतिथि उनके स्वयं के बायोडाटा (पी-15) के अन्सार 15 दिसंबर, 1954 है, जिसका अर्थ है कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर उनकी आयु 53 वर्ष से अधिक थी। 18 सितंबर, 2006 को आधिकारिक उत्तरदाताओं ने स्वयं यह निष्कर्ष निकाला कि डॉ. वी.एस. पाहिल प्रतिवादी संख्या 3 अधिक उम्र का है और, इस प्रकार, पात्र नहीं है (पी-10)। विद्वान वकील ने नियम (पी-13) में किए गए तथाकथित संशोधन पर भी हमला किया है, जिसमें निदेशक पद के लिए 40 से 50 वर्ष के बीच की आयु का प्रावधान करने वाले नियम की आवश्यकता के विपरीत आयु 50 से बढ़ाकर 55 वर्ष कर दी गई है। विद्वान वकील ने इस बात पर जोर दिया है कि अनुबंध पी-13 यह ख्लासा नहीं करता है कि नियमों में संशोधन किया गया है, बल्कि यह केवल गवर्निंग बोर्ड की 78वीं स्थगित विशेष बैठक की कार्यवाही है। नियमों में संशोधन के लिए केंद्रीय बीज प्रमाणीकरण बोर्ड की पूर्वानुमित प्राप्त करना आवश्यक है, जैसा कि 1976 के नियमों के नियम 33 द्वारा प्रदान किया गया है। विदवान वकील ने कहा है कि 1979 के नियमों को साधारण आम बैठक में केंद्रीय बीज प्रमाणीकरण बोर्ड की पूर्व मंजूरी और उक्त बोर्ड की कुल ताकत के

आधे से अधिक के समर्थन से संशोधित किया जा सकता है, जबिक अनुबंध पी-1 3 जो है गवर्निंग बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव उपरोक्त किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता है। इसे केंद्रीय बीज प्रमाणीकरण बोर्ड की मंजूरी से पारित नहीं किया गया है। स्थगित बैठक में साधारण सामान्य बैठक का कोरम पूरा नहीं था, जिसके लिए 8 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक थी, जबिक मात्र 4 सदस्य ही उपस्थित थे।

(सी) डॉ. सूर्य प्रकाश का अगला तर्क यह है कि डॉ. वी.एस. पाहिल-प्रतिवादी क्रमांक 3 ने परिपत्र दिनांक 1 2 जून 2005 (पी-3) द्वारा तय की गई निर्धारित समय सीमा के भीतर भी आवेदन नहीं किया। विद्वान वकील के अनुसार 20 जून, 2005 के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाना था और जिन उम्मीदवारों ने निर्धारित अविध के भीतर आवेदन किया था, उन्हें अनुबंध पी -4 में दिखाया गया है और प्रतिवादी नंबर 3 का नाम सूची में नहीं है। जो अपने आप में यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि उन्होंने आवेदन प्राप्ति के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन नहीं किया।

(डी) उन्होंने तब प्रस्त्त किया कि 1979 के नियमों के नियम 6 के अन्सार निदेशक के पद के लिए नियुक्ति प्राधिकारी एजेंसी का गवर्निंग बोर्ड है, जबकि वर्तमान मामले में आदेश म्ख्यमंत्री द्वारा जारी किया गया था। उन्होंने आदेश दिया है कि डॉ. वी.एस. पाहिल-प्रतिवादी नंबर 3 को एजेंसी के निदेशक (पी-एल एल) के रूप में नियुक्त किया जाए। विद्वान वकील ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं के पक्ष में की गई समान सिफारिशों को मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति करने के आदेश के रूप में नहीं माना जा सकता है, जैसा कि प्रतिवादी संख्या 1 और अन्लग्नक आर -1 / 9 ए और आर-1/9बी,(इसके साथ जोड़ा गया), के लिखित बयान के अवलोकन से स्पष्ट होगा। उन्होंने तर्क दिया है कि डॉ. वी.एस. पाहिल प्रतिवादी नंबर 3 की नियुक्ति संविधान के अन्च्छेद 14 का घोर उल्लंघन कर रहा है और इस प्रकार, 15 नवंबर, 2007 (पी-1) के आदेश को रद्द करके इसे रद्द किया जा सकता है। अपने प्रस्तुतीकरण के समर्थन में विद्वान वकील ने बाली सिंह वर्मा बनाम हरियाणा राज्य (1) के मामले में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले और मदन मोहन शर्मा बनाम राजस्थान राज्य (2), और रेखा चतुर्वेदी बनाम राजस्थान विश्वविद्यालय (3) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया है।। उन्होंने प्रस्त्त

किया है कि वर्तमान विवाद बाली सिंह वर्मा (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से स्पष्ट रूप से कवर होता है।

(ई) विद्वान वकील ने यह भी दावा किया है कि 29 अक्टूबर, 2007 को तथाकथित संशोधन (पी-1 3) पारित होने के बाद, उन लोगों से कोई नया आवेदन आमंत्रित नहीं किया गया जो 29 अक्टूबर, 2007 को किए गए संशोधन के अनुसार पात्र बन गए (पी-1 3)।

(एफ) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने तब प्रस्तुत किया कि डॉ. वी.एस. पाहिल-प्रतिवादी नंबर 3 की नियुक्ति चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविदयालय, हिसार कर्मचारी आचरण नियम, 1967 (संक्षिप्तता के लिए, '1967 नियम') के नियम 4 (बी) का घोर उल्लंघन है। 1967 के नियमों के नियम 4 (बी) के अन्सार विश्वविद्यालय-प्रतिवादी संख्या 4 का कोई भी कर्मचारी उचित माध्यम के अलावा विश्वविदयालय के बाहर किसी भी पद के लिए आवेदन नहीं कर सकता है, जबिक डॉ. वी.एस. पाहिल-प्रतिवादी संख्या 3 ने उक्त नियम का उल्लंघन किया है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार डॉ. वी.एस. पाहिल-प्रतिवादी नंबर 3 ने प्रतिवादी नंबर 2 एजेंसी में शामिल होने के लिए विश्वविद्यालय-प्रतिवादी नंबर 4 से अनुमति भी नहीं मांगी। इसके विपरीत, उन्होंने विश्वविद्यालय-प्रतिवादी संख्या 4 को सूचित किया कि वह प्रतिवादी संख्या 2 एजेंसी में शामिल हो रहे हैं, जैसा कि उनके संचार अनुलग्नक पी19 से पी-23 (प्रतिकृति के साथ) के अवलोकन से स्पष्ट होगा। याचिका दायर करने के बाद 10 जनवरी, 2008 को विश्वविद्यालय-प्रतिवादी नंबर 4 द्वारा पूर्वव्यापी अनुमति दी गई थी, जो कानून की नजर में अस्थिर है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से राज्य सरकार दवारा जारी निर्देशों पर किया गया था, हालांकि ऐसी किसी पूर्व-कार्योत्तर अनुमित देने का कोई प्रावधान नहीं है और न ही विश्वविद्यालय राज्य सरकार के ऐसे किसी निर्देश से बंधा ह्आ है।

(जी) इसके बाद उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि दो आईएएस अधिकारी जिनके अधीन डॉ. वी.एस. पाहिल-प्रतिवादी संख्या: 3 ने दर्ज किया है कि उनका प्रदर्शन बहुत खराब था और उन्होंने अनुसंधान और विकास केंद्र को बदनाम किया था जो भारी घाटे में चला गया था और डॉ. वी.एस. पाहिल-प्रतिवादी नंबर

3 किसानों से प्रतिनिधित्व प्राप्त करके दबाव बनाने में माहिर है। विद्वान वकील ने कहा है कि डॉ. वी.एस. को नियुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री, हरियाणा द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने के लिए संकल्प (पी-13) पारित किया गया है। पहलप्रतिवादी संख्या 3 क्योंकि मुख्यमंत्री ने उन्हें नियुक्त करने का आदेश दिया है, - आदेश दिनांक 27 सितंबर, 2007 (पी-एल एल) द्वारा। इसके बाद 3 अक्टूबर, 2007 को 16 अक्टूबर, 2007 को निर्धारित बैठक के लिए निदेशक पद के लिए योग्यता और आयु में बदलाव करने का एजेंडा जारी किया गया। जब बैठक 1 6 अक्टूबर, 2007 को हुई, तो सामान्य बैठक का कोरम पूरा हो गया। जिसमें 8 सदस्यों का होना आवश्यक था, वह पूरा नहीं हुआ। तदनुसार, बैठक 29 अक्टूबर, 2007 तक के लिए स्थगित कर दी गई। 4 सदस्यों द्वारा डॉ. वी.एस. पाहिल-प्रतिवादी संख्या 3 को नियुक्त करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया। राज्य सरकार की अनुशंसा पर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तदनुसार, उन्हें नियुक्ति पत्र 15 नवंबर, 2007 (पी-1) को जारी किया गया। उन्होंने आगे इस बात पर जोर दिया है कि संकल्प अनुबंध पी-13 को खत्म नहीं किया जा सकता है

नियमों और अनिवार्य प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक था।

(13) श्री डी.एस. नलवा और सुश्री प्रीति खन्ना, क्रमशः प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 पर कोई पूर्वाग्रह नहीं है क्योंकि उसकी जन्म तिथि 11 अक्टूबर है। 1967 और अंतिम तिथि यानी 20 जून, 2005 को उनकी आयु 40 वर्ष से कम थी, जो कि परिपत्र दिनांक 13 जून, 2005 (पी-3) के अनुसार आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि थी। वह अयोग्य था क्योंकि उसकी आयु अभी 40 वर्ष नहीं हुई थी। हालाँकि, याचिकाकर्ता नंबर 2 13 जून, 2005 के परिपत्र के अनुसार पात्र होगा क्योंकि उसकी आयु 47 वर्ष और 10 महीने थी लेकिन वह संशोधित योग्यता पूरी नहीं करता था। विद्वान वकील के अनुसार दोनों याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति पर विचार करने का अधिकार था लेकिन उन्हें नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि दोनों याचिकाकर्ताओं पर विचार किया गया। उन्होंने यह भी बताया है कि नियमों में न्यूनतम या अधिकतम आयु निर्धारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस संबंध में हमारा ध्यान 1979 के नियम 5 और 7 की ओर आकर्षित किया गया है। नियम 5 केवल यह दर्शाता

है कि किसी भी व्यक्ति को सीधी भर्ती द्वारा सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह परिशिष्ट बी में निर्दिष्ट आयु प्राप्त न कर ले। नियम 7 के अनुसार परिशिष्ट 'बी' के अनुसार योग्यता भी पूरी करनी होगी। विद्वान वकील ने तब प्रस्तुत किया कि डॉ. वी.एस. पाहिल-प्रतिवादी नंबर 3 के पास किसी भी मामले में अपेक्षित योग्यता है क्योंकि वह प्लांट पैथोलॉजी में कृषि एम.एससी. के साथ सीसीएस, एचएयू, हिसार से पौध प्रजनन (फसल सुधार, बीज उत्पादन और प्रमाणीकरण) है। उन्होंने हॉर्टिकल्चर में एम.एससी. और एम.फिल भी किया है और साथ-साथ कॉमनवेल्थ स्कॉलर के रूप में एचआरआई, लिटिलहैम्पटन और किंग्स कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यूके से पीएचडी की। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि उनके पास पीएच.डी. बागवानी (शाकाहारी) में डिग्री और विषय का अनुभव भी है। विद्वान वकील ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी मामले में प्रतिवादी नंबर 2 एजेंसी के गवर्निंग बोर्ड ने 29 अक्टूबर, 2007 को हुई अपनी बैठक में निर्णय लिया है कि निदेशक पद के लिए आवश्यक योग्यता कृषि एम.एससी. और बीज उत्पादन बीज प्रौद्योगिकी में 10 वर्ष का अनुभव होगी और आयु सीमा 50 से 55 वर्ष तक बढ़ा दी गई है। गवर्निंग बोर्ड ने आगे निर्णय लिया था कि निदेशक नियुक्त करने की शक्ति राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। दावा है कि डॉ. वी.एस. पाहिल-प्रतिवादी संख्या 3 योग्यता, अनुभव और आयु में संशोधन से पहले भी पात्र था।

(14) श्री आर.के. मिलक, डॉ. वी.एस. पाहिल प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान विरष्ठ वकील ने शुरुआत में कहा है कि डॉ. वी.एस. पाहिल की नियुक्ति की अविध एक वर्ष की है, जो 15 नवंबर, 2008 को समाप्त होनी है। उन्होंने पेशकश की है कि वह कोई एक्सटेंशन नहीं मांगेंगे क्योंकि उन्हें उनके मूल विभाग यानी सीसीएस, एचएयू, हिसार में बहुत ऊंचे पद पर नियुक्ति दी जा रही है। उन्होंने योग्यता के आधार पर यह भी कहा है कि याचिकाकर्ताओं के आरोप निराधार हैं कि योग्य मुख्यमंत्री ने नियुक्ति के लिए उनके मामले की सिफारिश की थी। विद्वान वकील के अनुसार यह एक मुख्यमंत्री का नियमित मामला है और यहां तक कि याचिकाकर्ताओं के मामले में सिफारिशें भी की गई हैं, जो याचिकाकर्ता संख्या 1 के संबंध में अनुबंध आर-3/4 और याचिकाकर्ता संख्या 2 के संबंध में आर-3/5 से स्पष्ट होगा। विद्वान वकील के अनुसार, मुख्यमंत्री ने याचिकाकर्ता संख्या 2 को हरियाणा बीज प्रमाणीकरण एजेंसी, पंचक्ला के

निदेशक के रूप में तैनात करने की इच्छा व्यक्त की है, जो उस समय अतिरिक्त निदेशक, कृषि के रूप में कार्यरत थे। बताया गया है कि डॉ. वी.एस. पाहिल-प्रतिवादी नंबर 3 को एएफआरसी इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, लिटिलहैम्प्टन विश्वविद्यालय में बागवानी (वैकल्पिक एगरिकस प्रजाति की खेती और तनाव सुधार) में अनुसंधान के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रमंडल छात्रवृत्ति पर यूनाइटेड किंगडम भेजा गया था। उपर्युक्त तथ्यात्मक स्थिति भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग), नई दिल्ली द्वारा उन्हें भेजे गए पत्र दिनांक 18 मई, 1989 द्वारा सामने लाई गई है (आर-3/2 पृष्ठ २८० पर)। उन्होंने उपर्युक्त पाठ्यक्रम अपनाया और अंततः उन्हें पीएच.डी. डिग्री (पेज 277 पर आर-3/2) से सम्मानित किया गया। इसके बाद उन्होंने हमारा ध्यान अकादमिक रिकॉर्ड की प्रतिलेख की ओर आकर्षित किया ताकि यह उजागर किया जा सके कि प्रतिवादी नंबर 3 ने प्लांट पैथोलॉजी का अध्ययन किया है और इसलिए, सभी आवश्यक योग्यताएं पूरी की हैं। विद्वान वकील के अनुसार प्रतिवादी नंबर 2 एजेंसी के गवर्निंग बोर्ड ने योग्यता के साथ-साथ उम्र की आवश्यकता में भी संशोधन किया है और किसी भी मामले में प्रतिवादी नंबर 3 उन मापदंडों को पूरा करता है। श्री मलिक द्वारा उठाया गया एक और तर्क यह है कि एक बार याचिकाकर्ताओं ने चयन प्रक्रिया पूरी कर ली है और असफल होने पर वे किसी भी आधार पर प्रतिवादी नंबर 3 के चयन पर हमला नहीं कर सकते हैं। उन्होंने यह कहते ह्ए निष्कर्ष निकाला कि यदि प्रतिवादी संख्या 3 को 5 नवंबर, 2008 तक जारी रहने की अनुमति दी जाती है तो वह किसी भी विस्तार के लिए अनुरोध नहीं करेंगे।

(15) इसके बाद ध्यान देने योग्य विभिन्न कारणों से हमारा मानना है कि याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्क उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील के तर्कों से कहीं अधिक हैं। यह रिकॉर्ड में आया है कि 13 जून, 2005 को, प्रतिवादी नंबर 2 एजेंसी ने सभी पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करते हुए एक परिपत्र-सह-विज्ञापन (पी-3) जारी किया है। उस परिपत्र/विज्ञापन में शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु की आवश्यकता और आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि का उल्लेख किया गया है। मूल परिपत्र/विज्ञापन का जब अंग्रेजी में अनुवाद किया गया तो वह इस प्रकार है।

उपरोक्त उद्धृत विषय पर यह सूचित किया जाता है कि सरकार ने निदेशक हिरयाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी, पंचकुला के पद को 1200-375-16500 ग्रेड में प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने का निर्णय लिया है। इस पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने के लिए योग्यता, अनुभव एवं आयु सीमा इस प्रकार है:-

- आयु सीमा- 40-50 वर्ष
- शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव एमएससी (कृषि) पादप प्रजनन/कृषि विज्ञान में/ बागवानी (शाकाहारी)/बीज प्रौद्योगिकी। कम से कम रिसर्च फार्म में 15 साल का अनुभव प्रबंधन/फसल उत्पादन, बीज उत्पादन/विकास और विस्तार गतिविधियाँ जिनमें से वरिष्ठ पद पर 10 वर्ष का अनुभव। योजना बनाने, कार्यान्वयन के लिए पूरी तरह से परिचित होना चाहिए और बीज उत्पादन से जुड़े प्रशासनिक/तकनीकी मामलों को जानना चाहिए।

यदि आपके अधीन कोई अधिकारी उपरोक्त योग्यता, अनुभव और आयु सीमा को पूरा करता है, तो उसका आवेदन दस्तावेजों सहित 20 जून, 2005 तक कृषि निदेशक को भेज दिया जाना चाहिए। इस तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(16) परिपत्र/विज्ञापन के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि निदेशक का पद प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरा जाना था। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि अर्थात 20 जून, 2005 को आवेदक की आयु 40-50 वर्ष के बीच होनी आवश्यक थी। इसके अलावा उसके पास एम.एससी. की योग्यता होना भी आवश्यक है। (कृषि) पादप प्रजनन/कृषि विज्ञान [बागवानी (सब्जी)/बीज प्रौद्योगिकी में। इसके अलावा उम्मीदवार के पास अनुसंधान फार्म प्रबंधन/फसल उत्पादन/बीज उत्पादन/विकास और विस्तार गतिविधियों में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है, जिसमें से वरिष्ठ पद पर रहने के लिए 10 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। उम्मीदवार को योजना, कार्यान्वयन के आयोजन में पूरी तरह से पारंगत होना और बीज उत्पादन से जुड़े प्रशासनिक/तकनीकी मामलों से परिचित होना आवश्यक है। यह आगे स्पष्ट किया गया है कि योग्यता, अनुभव और आयु सीमा को पूरा करने वालों को 20 जून, 2005 तक कृषि निदेशक को दस्तावेजों के साथ आवेदन करना था और

अंतिम तिथि के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(17) यह निर्विवाद है कि प्रतिवादी नंबर 2 एजेंसी ने 1979 नियम बनाए हैं, जो निदेशक पद पर नियुक्ति के लिए लागू होते हैं। 1979 के नियमों के नियम 7 के तहत यह निषेध है कि किसी भी व्यक्ति को सेवा में नियुक्त नहीं किया जा सकता है, जिसमें निदेशक का पद भी शामिल है, जब तक कि उसके पास 1979 के नियमों के परिशिष्ट 'बी' के कॉलम 3 में निर्दिष्ट योग्यता और अनुभव न हो। 1979 के नियमों के परिशिष्ट 'बी' के साथ नियम 7, संदर्भ की सुविधा के लिए यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है।

"7. किसी भी व्यक्ति को सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसके पास इन नियमों के परिशिष्ट बी के कॉलम 3 में निर्दिष्ट योग्यताएं और अन्भव न हो।"

"APPENDIX B',

ATTENDIA D						
	पदों पदनाम	का	शैक्षणिक योग्यता अनुभव	एवं	आयु	भर्ती की विधि
1	2		3		4	5
1.	निदेशक		एमएससी (र प्रजनन/ विज्ञान/बाग (शाकाहारी) /बीज/प्रौद्यो रिसर्च/फार्म कम 15 अनुभव प्रबंधन फस उत्पादन/बी उत्पादन/ विकास औ गतिविधियाँ वरिष्ठ पद	कृषि वानी/ गिकी में में कम से साल क ल ल ज र विस्तार र जिनमें से	ा वर्ष 	i) मुख्य बीज प्रमाणीकरण अधिकारी से पदोन्नति ii) प्रत्यक्ष. iii) स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति"

का अनुभव। योजना बनाने, कार्यान्वयन के लिए पूरी तरह से परिचित होना चाहिए और बीज उत्पादन से जुड़े प्रशासनिक/तकनीकी मामलों को जानना चाहिए।

(18) परिशिष्ट 'बी' के साथ उपरोक्त नियम का अवलोकन यह स्पष्ट करता है कि प्रतिवादी संख्या 2 एजेंसी ने 13 जून, 2005 (पी-3) के परिपत्र/विज्ञापन में योग्यता, अनुभव और आयु, 1979 के नियमों के परिशिष्ट 'बी' के साथ पठित नियम 7 के प्रावधान, के अनुसार जारी की है।

(19) डॉ. वी.एस. पाहिल-प्रतिवादी क्रमांक 3 उम की शर्त पूरी नहीं करते। परिपत्र/विज्ञापन और 1979 के नियमों के परिशिष्ट 'बी' के साथ पढ़े गए नियम 7 के अनुसार, आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि यानी 20 जून, 2005 को उम्मीदवार की आयु 40-50 वर्ष के बीच होनी आवश्यक थी। यह निर्विवाद है कि डॉ. वी.एस. पाहिल-प्रतिवादी नंबर 3 ने इस आवश्यकता का उत्तर नहीं दिया क्योंकि स्वीकृत तथ्यों के अनुसार उनका जन्म 15 दिसंबर, 1954 को हुआ था, इसलिए, आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि पर उनकी उम्र 50 वर्ष से छह महीने अधिक थी। उनकी जन्मतिथि सीसीएस, एचएयू, हिसार को उनके द्वारा दिए गए बायोडाटा में उजागर की गई है। अन्यथा भी, कृषि निदेशक, हिरयाणा ने उनके आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि जब उन्होंने 1 8 सितंबर, 2006 को वितीय आयुक्त और प्रधान सचिव,

हरियाणा सरकार-प्रतिवादी संख्या एल को पत्र भेजा था, तब उनकी उम्र अधिक थी।

(20) यहां तक कि डॉ. वी.एस. पाहिल-प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा भेजा गया आवेदन निदेशक, कृषि हरियाणा को आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि यानी 20 जून, 2005 या उससे पहले प्राप्त नहीं ह्आ था, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि सूची आवेदकों की सूची निदेशक, कृषि हरियाणा द्वारा तैयार की गई थी, जिन्होंने 20 जून, 2005 को या उससे पहले अपने आवेदन भेजे थे और डॉ. वी.एस. पाहिल-प्रतिवादी संख्या 3 का नाम उस सूची में उल्लेखित नहीं है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि डॉ. वी.एस. पाहिल-प्रतिवादी संख्या 3 ने आवेदन भी नहीं किया है और केवल अगस्त 2007 में अपना बायोडाटा भेजा है। यदि हम उसके दवारा सीसीएस, एचएयू, हिसार-प्रतिवादी नंबर 4 को भेजे गए पत्र दिनांक 28 दिसंबर, 2007 (आर-4/2) का संदर्भ लें, तो इस तथ्य को प्रतिवादी संख्या 3 दवारा स्वीकार किया गया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कोई आवेदन जमा नहीं किया था लेकिन उनका चयन उनके बायोडाटा के आधार पर किया गया था। यह अच्छी तरह से तय है कि यदि विज्ञापन में निर्दिष्ट तिथि तक आवेदन प्राप्त नहीं होता है तो ऐसा उम्मीदवार अपने आवेदन पर विचार करने का मौका खो देगा। उपरोक्त दृष्टिकोण के लिए हम रेखा चत्र्वेदी (स्प्रा), अशोक सोनकर बनाम भारत संघ (4), और एम.वी. नायर (डॉ.) बनाम भारत संघ (5) के मामलों में दिए गए निर्णयों से समर्थन चाहते हैं। भूपिंदरपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य (6) के मामले में, अंतिम तिथि पर पात्रता के निर्धारण का प्रश्न विचार के लिए आया और इस न्यायालय द्वारा व्यक्त दृष्टिकोण को स्वीकार करते ह्ए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की: ".. उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है (i) कि कट-ऑफ तिथि, जिसके संदर्भ में सार्वजनिक रोजगार चाहने वाले उम्मीदवार दवारा पात्रता की आवश्यकता को पूरा किया जाना चाहिए, प्रासंगिक सेवा नियमों द्वारा नियुक्त तिथि है और यदि कोई कट-ऑफ तिथि नियुक्त नहीं की गई है नियमों के अनुसार ऐसी तिथि जो विज्ञापन में इस प्रयोजन के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए नियत की जा सकती है; (ii) यदि ऐसी कोई तिथि निय्क्त नहीं की गई है तो पात्रता मानदंड उस अंतिम तिथि के संदर्भ में लागू किया जाएगा जिसके द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त किए जाने हैं। उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण इस न्यायालय के कई निर्णयों द्वारा समर्थित है और इसलिए अच्छी तरह से स्थापित है और इसलिए इसमें कोई दोष नहीं पाया जा सकता है"

(21) उपरोक्त सिद्धांतों से एक अन्ठा निष्कर्ष निकलता है कि वर्तमान मामले में, परिपत्र/विज्ञापन में तय की गई कट-ऑफ तारीख 20 जून, 2005 है। कट-ऑफ तारीख तक एक उम्मीदवार को इसे पूरा करना आवश्यक था। आयु की आवश्यकता और पद के लिए उनके आवेदन पर विचार किया जा सकता था। पूर्ववर्ती पैरा से स्पष्ट है कि डॉ. वी.एस. पाहिल-प्रतिवादी संख्या 3 ने आयु की आवश्यकता को पूरा नहीं किया और न ही उसने परिपत्र/विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि को या उससे पहले आवेदन भेजा।

(22) डॉ. वी.एस. पाहिल-प्रतिवादी संख्या 3 की योग्यता परिपत्र/विज्ञापन और उसमें दी गई कट-ऑफ तारीख के अनुसार निर्धारित की जानी आवश्यक है। डॉ. वी.एस. पाहिल-प्रतिवादी नंबर 3 ने स्वीकार किया कि उसके पास प्लांट पैथोलॉजी में एम.एससी. (कृषि) की योग्यता है, जो विज्ञापित योग्यता का उत्तर नहीं देता है और न ही ऊपर देखे गए नियमों द्वारा प्रदान की गई है। आवश्यक योग्यता के अन्सार उम्मीदवार को एम.एससी. (कृषि) पादप प्रजनन में होना चाहिए। डॉ. वी.एस. पाहिल-प्रतिवादी संख्या 3 का दावा है कि उनकी प्लांट ब्रीडिंग या हॉर्टिकल्चर में पीएच.डी. को प्रवेश के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि याचिकाकर्ताओं को सीसीएस, एचएय, हिसार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी प्रदान की गई है, जिसमें दिखाया गया है कि डॉ. वी.एस. पाहिल-प्रतिवादी नंबर 3 को प्लांट पैथोलॉजी में प्रोफेसर के रूप में पदोन्नत किया गया था और पीएचडी /प्रख्यात वैज्ञानिक प्रोफेसर के लिए योग्यता आवश्यक है। उन्होंने आगे बताया है कि डॉ. वी.एस. पाहिल-प्रतिवादी संख्या 3 के पास पीएच.डी. डिग्री है। लेकिन उन्होंने विश्वविद्यालय को अपने अनुशासन का खुलासा नहीं किया। हालाँकि, उन्होंने मशरूम उत्पादन और प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता का उल्लेख किया था। यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया गया कि डॉ. वी.एस. पाहिल-प्रतिवादी क्रमांक 3 के पास बागवानी में पीएच.डी. नहीं थी।

क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने विशेष प्रश्न पूछा है कि क्या प्लांट पैथोलॉजी में एम.एससी. और बागवानी में पीएच.डी. डिग्री धारक व्यक्ति को पादप रोगविज्ञान में प्रोफेसर के रूप में पदोन्नत किया जा सकता है। इसलिए, प्रतिवादी संख्या 3 उन योग्यताओं का उत्तर नहीं देता है, जो 13 जून, 2005 के परिपत्र/विज्ञापन द्वारा आवश्यक थीं। (23) उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील का तर्क है कि 29 अक्टूबर, 2007 को प्रतिवादी नंबर 2 एजेंसी के गवर्निंग बोर्ड द्वारा संशोधन किया गया था और एम.एससी. (कृषि) की योग्यता को पर्याप्त माना गया था जिसे एक से अधिक कारणों से अस्वीकार किया जा सकता है। प्रतिवादी नंबर 2 एजेंसी के गवर्निंग बोर्ड द्वारा दिनांक 29 अक्टूबर, 2007 को पारित प्रस्ताव, 1979 के नियमों के परिशिष्ट 'बी' के साथ पढ़े गए नियम 7 का स्पष्ट उल्लंघन करता है (जिसे पहले से ही पूर्ववर्ती पैरा में देखा जा चुका है) और तदनुसार गवर्निंग बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार योग्यता में किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसी तरह, 40-50 वर्ष की आयु सीमा को बढ़ाकर 50-55 वर्ष नहीं किया जा सकता है और न ही प्रतिवादी नंबर 2 एजेंसी का गवर्निंग बोर्ड निदेशक की नियुक्ति की शक्ति सरकार को सौंप सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि प्रतिवादी नंबर 2 एजेंसी की स्थापना 1966 अधिनियम की धारा 2 में निहित प्रावधानों के मद्देनजर 31 अक्टूबर, 1975 को की गई थी। यह हरियाणा सरकार द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित एक निकाय है और हरियाणा सरकार के कृषि विभाग के आयुक्त-सह-सचिव इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।प्रतिवादी नंबर 2 एजेंसी ने 1 सितंबर, 1976 से अपना वास्तविक कामकाज शुरू किया। 1976 के नियमों के नियम 21 के तहत एजेंसी के गवर्निंग बोर्ड को ऐसे नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, जो नियमों के साथ असंगत नहीं हैं और उन्हें एजेंसी के मामलों के प्रशासनिक और प्रबंधन के लिए समय-समय पर नियमों को संशोधित और निरस्त करने का अधिकार प्रदान है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि 1979 नियम (विनियम?) केंद्रीय बीज प्रमाणीकरण बोर्ड की मंज्री के बाद तैयार किए गए हैं, जिसे 1966 अधिनियम की धारा 8-ए के तहत स्थापित किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिका के पैरा 16 और 17 में इस आशय के विशिष्ट दावे किए हैं कि कोई भी संशोधन केंद्रीय बीज प्रमाणीकरण बोर्ड की पूर्व मंजूरी के साथ किया जा सकता था। प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दायर लिखित बयान के संबंधित पैरा में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया है। उठाया गया एकमात्र तर्क यह है कि ये नियम गवर्निंग बोर्ड द्वारा बनाए गए हैं और चरित्र में गैर-वैधानिक हैं। हालाँकि, प्रतिकृति में याचिका में दिए गए कथनों को दोहराया गया है। प्रतिवादी संख्या 2 एजेंसी की स्थापना 1 966 अधिनियम की धारा 2 के तहत की गई है, जैसा कि 1966 अधिनियम की धारा 3 (ए) के अवलोकन से स्पष्ट है। 1966 अधिनियम की धारा 9 और 10 में वर्णित कार्यों का निर्वहन करना आवश्यक है। ऐसा ही एक मामला बाली सिंह वर्मा (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच के समक्ष विचार के लिए आया था, जिसमें इन नियमों पर भरोसा किया गया था कि सरकार निदेशक की निय्क्ति की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकती है और निदेशक की नियुक्ति किसके द्वारा की गई है? सरकार को किनारे कर दिया गया. इसलिए, हमारा विचार है कि किसी भी मामले में संशोधन उन आवेदनों को नियंत्रित नहीं करेगा जो 13 जून, 2005 (पी-5) के परिपत्र/विज्ञापन के अनुसरण में आमंत्रित किए गए थे क्योंकि संकल्प दिनांक 29 अक्टूबर, 2007 (पी-1 3)) प्रतिवादी नंबर 2 एजेंसी के गवनिंग बोर्ड दवारा दो साल से अधिक समय के बाद पारित किया गया है।

(24) हमारा यह भी मानना है कि यदि नियुक्ति 29 अक्टूबर, 2007 के संकल्प के आधार पर की जानी थी तो नए आवेदन आमंत्रित करने की आवश्यकता थी जो कि स्वीकार नहीं किया गया है। डॉ. वी.एस. पाहिल-प्रतिवादी नंबर 3 ने अपना आवेदन अगस्त, 2006 में भेजा, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है। इसके बाद कोई परिपत्र/विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। यदि हम प्रतिवादी संख्या 3 की नियुक्ति पर उस आलोक में विचार करते हैं तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16(1) का उल्लंघन है क्योंकि उन लोगों को आवेदन करने का कोई अवसर नहीं दिया गया जिनके पास संकल्प में निर्धारित योग्यताएं थीं। प्रतिवादी संख्या 2 एजेंसी द्वारा अपनाया गया दिनांक 29 अक्टूबर 2007 का संशोधन कहा गया।

(25) यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि हरियाणा के योग्य मुख्यमंत्री ने 27 सितंबर, 2007 को इच्छा व्यक्त की थी कि डॉ. वी.एस.

पहल-प्रतिवादी क्रमांक 3 को प्रतिवादी क्रमांक 2 एजेंसी का निदेशक नियुक्त किया जाए। उनके प्रमुख सचिव द्वारा संप्रेषित योग्य मुख्यमंत्री का नोट पहले ही ऊपर पैरा संख्या 5 में निकाला जा चुका है। (26) घटनाओं के क्रम से पता चलता है कि प्रतिवादी संख्या 3 की नियुक्ति की प्रक्रिया 27 सितंबर, 2007 को मुख्यमंत्री द्वारा भेजे गए नोट के बाद शुरू हुई (पी-एल एल)। प्रतिवादी नंबर 2 ने ऐसे नोट की प्राप्ति स्वीकार की है जैसा कि लिखित बयान के पैरा 11 के अवलोकन से स्पष्ट है। इसके बाद 1 6 अक्टूबर, 2007 को एक एजेंडा आइटम (पी-1 2) लाया गया और योग्यता, अनुभव और आयु में संशोधन की मांग की गई। एजेंडे में ही 1976 के नियमों के नियम 33 को उद्धृत किया गया है, जो विशेष रूप से केंद्रीय बीज प्रमाणीकरण बोर्ड की पूर्व मंजूरी का प्रावधान करता है और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाता है।

"33. नियमों में संशोधन

सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1 860 (1 860 की बारहवीं) के प्रावधानों के अधीन और केंद्रीय बीज प्रमाणीकरण बोर्ड की पूर्व मंजूरी के साथ, इन नियमों को बोर्ड की सामान्य आम बैठक में पारित प्रस्ताव द्वारा किसी भी समय संशोधित किया जा सकता है।"

(27) अपूर्ण कोरम के कारण कोई भी प्रस्ताव नहीं अपनाया जा सका और उसके बाद 29 अक्टूबर, 2007 को संशोधन के साथ प्रस्ताव अपनाया गया। इसलिए, यह स्पष्ट है कि योग्यता, अनुभव और आयु आदि में किया गया तथाकथित संशोधन योग्य मुख्यमंत्री द्वारा दिखाई गई विशेष रुचि के कारण है और उसके बाद डॉ. वी.एस. पाहिल-प्रतिवादी संख्या 3 को नियुक्ति पत्र जारी किया गया है। 15 नवंबर, 2007 (पी-एल) मुख्यमंत्री की मंजूरी प्राप्त करने के बाद जैसा कि प्रतिवादी संख्या एल के लिखित बयान के पैरा 11 से स्पष्ट है।

(28) यह सच है कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रत्येक याचिकाकर्ता के पक्ष में एक नोट भी भेजा गया था, जिसे अनुबंध आर-1/9ए और आर-1/9बी के रूप में रिकॉर्ड पर लाया गया है। 8 अगस्त, 2007 के नोट के अनुसार 'सीएम की इच्छा है कि श्री. बी.एस. दुग्गल, अतिरिक्त निदेशक, कृषि विभाग, पंचकुला को प्रतिवादी नंबर 2 एजेंसी के निदेशक के रूप में तैनात किया जा सकता है। इसी प्रकार याचिकाकर्ता श्री सुरिंदर सिंह दिहया के पक्ष में 7 अक्टूबर, 2007 को एक नोट भी भेजा गया है कि

सीएम चाहते हैं कि उनके मामले पर 'सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए'। याचिकाकर्ताओं के पक्ष में नोट्स लिखने से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16(1) का उल्लंघन समाप्त हो गया है और न ही यह अनुमान लगाया जाएगा कि प्रतिवादी संख्या 3 की मदद करना, योग्यता, आयु आदि (पी-एल एल) में बदलाव का उद्देश्य नहीं है। इसलिए, हम यह नहीं पाते हैं कि याचिकाकर्ताओं के लिए नोट्स लिखने को प्रतिवादी संख्या 3 की नियुक्ति को बनाए रखने के लिए शमन कारक के रूप में कैसे माना जा सकता है।

(29) बात यहीं खत्म नहीं होती क्योंकि डॉ. वी.एस. पाहिल प्रतिवादी संख्या 3 ने सीसीएस एचएयू, हिसार के 1967 नियमों के नियम 4(बी) सहित सभी नियमों, विनियमों को खारिज कर दिया। उपरोक्त नियम के लिए सीसीएस, एचएयू, हिसार, के विश्वविदयालय के बाहर किसी भी पद के लिए उचित माध्यम से आवेदन करके एक कर्मचारी की आवश्यकता है। डॉ. वी.एस. पाहिल-प्रतिवादी नंबर 3 ने उचित माध्यम से आवेदन नहीं किया और न ही प्रतिवादी नंबर 2 एजेंसी से अन्मति मांगी। 1967 के नियमों का उल्लंघन करते हुए, डॉ. वी.एस. पाहिल-प्रतिवादी नंबर 3 ने केवल सीसीएस एचएयू, हिसार को सूचित किया कि वह प्रतिवादी नंबर 2 एजेंसी में शामिल हो रहा है, जैसा कि उसके संचार अन्लग्नक पी-19 से पी-23 के अवलोकन से स्पष्ट होगा। सीसीएस एचएयू, हिसार ने उनके द्वारा की गई चूक (पी-22) का स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने 28 दिसंबर, 2007 को अपना जवाब भेजा जिसमें कहा गया था कि उनका चयन उनके बायोडाटा के आधार पर किया गया था और कभी कोई आवेदन आमंत्रित नहीं किया गया था (आर-4/2)। स्पष्टीकरण गलत है यदि विज्ञापन/परिपत्र दिनांक 1-3 जून, 2005 (पीडब्लू 3) देखा गया है। सीसीएस एचएयू, हिसार के लिए यह पूरी तरह से सच था और उसने पूर्वव्यापी अनुमति दे दी।

(30) तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए हमारा मानना है कि डॉ. वी.एस. पाहिल-प्रतिवादी नंबर 3 को पूरी तरह से गुप्त और गुप्त तरीके से निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। यह सर्वविदित है कि सार्वजनिक कार्यालय किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की निजी संपत्ति नहीं हैं। संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के उल्लंघन में कोई भी राज्य उदारता वितरित नहीं की जा सकती। सम्राट

जैसे दृष्टिकोण की निंदा की जानी चाहिए। कोई भी हेनरी VIII जैसा व्यवहार नहीं कर सकता। संशोधन के अनुसार पात्र उम्मीदवारों के प्रतिस्पर्धी दावों पर विचार नहीं किया गया है और डॉ. वी.एस. पाहिल-प्रतिवादी संख्या 3 को वस्तुतः योग्य मुख्यमंत्री, हरियाणा द्वारा जारी निर्देश पर नियुक्त किया गया है।

(31) ऊपर बताए गए कारणों से, यह याचिका सफल होती है। डॉ. वी.एस. पाहिल-प्रतिवादी नंबर 3 की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है और उनकी नियुक्ति का आदेश दिनांक 15 नवंबर, 2007 (पी-एल) रद्द कर दिया गया है। 29 अक्टूबर 2007 का संशोधन या संकल्प (पी-13) भी निरस्त किया जाता है। प्रतिवादी नंबर 2 एजेंसी को कानून के अनुसार निदेशक के पद को भरने के लिए नया परिपत्र/विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया जाता है और इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हालाँकि, निदेशक की नियुक्ति को अंतिम रूप दिए जाने तक, निदेशक, कृषि विभाग, हरियाणा, प्रतिवादी नंबर 2 एजेंसी के निदेशक के रूप में पदेन कर्तव्य निभाएंगे। याचिकाकर्ताओं को उनकी लागत जो रुपये जो रुपये में 50,000 का हकदार माना जाता है, और इसका भुगतान प्रतिवादी नंबर 1 और 2 द्वारा समान अनुपात में किया जाएगा।

डॉ. स्रिंदर सिंह दहिया और दूसरा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है तािक वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

स्मृति

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

क्रक्षेत्र, हरियाणा

1

¹(1) 1995 (एल) एस.सी.टी. 75

^{(2) (2008) 3} एस.सी.सी. 724

^{(3) 1993} एसयूपीपी (3) एस.सी.सी. 168

^{(4) (2007)} ४ एस.सी.सी. 54

^{(5) (1993) 2} एस.सी.सी. 429

^{(6) (2000) 5} एस.सी.सी. 262